सख्ती राज्य शासन को देना होगा शपथपत्र, खनन से जुड़े हादसों पर भी कोर्ट ने जताई गंभीर चिंता

प्रदेश की 19 नदियों के उद्गम स्थलों के संरक्षण के लिए बनाएं कमेटी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अरपा नदी के उद्गम स्थल के संरक्षण और अवैध खनन से जुड़े मामलों में गंभीर रुख अपनाते हुए प्रदेश की 19 नदियों के उद्गम स्थलों के संरक्षण के लिए कमेटी गठित करने का आदेश राज्य शासन को दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया है कि उद्गम स्थलों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर चिन्हांकित किया जाए। शासन को इस संबंध में शपथपत्र दाखिल कर विस्तृत जानकारी देनी होगी। मामले की अगली सुनवाई सितंबर में निर्धारित की गई है।

कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई: अरपा नदी के संरक्षण को लेकर एडवोकेट अरविंद शुक्ला और रामनिवास तिवारी द्वारा अलग-अलग जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। इनमें अरपा नदी के उद्गम स्थल के संरक्षण और अवैध खनन पर कदम उठाने की मांग की गई है।

उद्गम स्थलों को नाले के रूप में दर्शाने पर नाराजगी

याचिकाकर्ता ने बताया गया कि शासन के रिकार्ड में अधिकांश नदियों के उद्गम स्थलों को नाले के रूप में दिखाया गया है, जो कि असंगत और आपत्तिजनक है। कोर्ट ने इस पर भी कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि यह स्थिति तत्काल सुधारी जानी चाहिए। सुनवाई में यह भी बताया गया कि जीपीएम (गौरेला-पेंड्रा-मरवाही) जिले के कलेक्टर द्वारा अरपा नदी के उद्गम स्थल की पहचान के लिए लायडर सर्वे का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, जिसकी लागत करीब 2 करोड़ 60 लाख रुपये थी। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और स्पष्ट किया कि ऐसे कार्यों के लिए अत्यधिक खर्च की बजाय स्थानीय और व्यावहारिक समाधान खोजे जाने चाहिए।

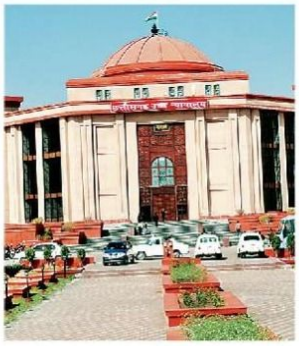

पूर्व की भागवत कमेटी का हुआ जिक्र

सीजे सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की पीठ में मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने बताया कि पूर्व में अरपा के संरक्षण के लिए भागवत कमेटी का गठन किया गया था, जो उद्गम को सुरक्षित रखने सक्रिय थी। इसके समर्थन में छह साल पुराने समाचार पत्रों की कटिंग प्रस्तुत की गईं।

सारंगढ़ जेल मारपीट मामला: दो अधिकारियों पर आरोप साबित, एक को मिली सजा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: सारंगढ़ उप जेल में बंदियों के साथ मारपीट के गंभीर मामले में हाई कोर्ट के आदेश पर हुई विभागीय जांच में दो अधिकारियों को दोषी पाया गया है। जेल प्रशासन ने हाईकोर्ट में शपथपत्र प्रस्तुत कर बताया है कि दोनों अधिकारियों पर लगे आरोप प्रमाणित हो चुके हैं, जिनमें से एक को सजा दे दी गई है, जबकि दूसरे अधिकारी पर कार्रवाई के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की मंजूरी का इंतजार है। इस मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 3 अप्रैल को हुई पिछली सुनवाई में राज्य सरकार से पूछा था कि दोषी पाए गए वार्डर महेश्वर हिचामी और सहायक जेल अधीक्षक संदीप कुमार कश्यप के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है। इसके अनुपालन में जेल विभाग की ओर से शपथपत्र दाखिल किया है।

वार्डर महेश्वर हिचामी को मिली सजा

शपथपत्र में बताया गया है कि वार्डर महेश्वर हिचामी के विरुद्ध लगाए गए आरोप सही पाए गए, जिसके आधार पर उसे दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने की सजा दी गई है। संबंधित सजा आदेश की प्रति भी न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई है।

सहायक जेल अधीक्षक पर कार्रवाई अटकी

सहायक जेल अधीक्षक संदीप कश्यप के खिलाफ भी आरोप साबित हो चुके हैं, लेकिन उस पर विभागीय कार्रवाई के लिए अब तक पीएससी की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो सकी है। विभाग ने आयोग को अनुमोदन के लिए रिमाइंडर पत्र भेजा है। हाई कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई अगस्त में निर्धारित की है।